

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266958
SG-DL-E-16102025-266958असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]	दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 13, 2025/आश्विन 21, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 283
No. 311]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2025/ASVINA 21, 1947	[N. C. T. D. No. 283

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIश्रम विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2025

सं. एफ.17.(1430)/बी.ओ.सी.डब्ल्यू./लेब/25/3524-3538.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन सेवा तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन सेवा तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2002 का नियम 251 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 14 जुलाई 2000 की अधिसूचना संख्या -यू-11020/1/2000 यूटीएल एवं अधिसूचना संख्या एस.ओ.3753(ई) दिनांक -02.09.2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित सदस्यों वाले मौजूदा दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का तीन वर्ष की अवधि अथवा इसके पुर्नगठन तक के लिए गठन करते हैं :-

- | | |
|---|---------|
| 1. माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | अध्यक्ष |
| 2. केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति | सदस्य |

3. सरकारकाप्रतिनिधित्व करनेवाले 5 सदस्य-

- | | |
|---|-------|
| 1. श्रम, सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार। | सदस्य |
| 2. श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार। | सदस्य |
| 3. सचिव, (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | सदस्य |
| 4. सचिव, (स्वास्थ्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | सदस्य |
| 5. प्रधान सचिव, (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | सदस्य |

4. नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ।

- | | |
|--|-------|
| 1. इंजीनियर-इन-चीफ, पी.डब्लू.डी | सदस्य |
| 2. इंजीनियर-इन-चीफ, - एम.सी.डी. | सदस्य |
| 3. इंजीनियर-इन-चीफ, डी.डी.ए | सदस्य |
| 4. अतिरिक्त महाप्रबंधक, (एच.आर), डी.एम.आर.सी | सदस्य |
| 5. चीफ इंजीनियर, आई.एण्ड एफसी, जीएनसीटीडी | सदस्य |

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 05 सदस्यों को यथासमय अधिसूचित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अशोक कुमार, सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th October, 2025

No. F. 17 (1430)/DBOCWB/25/3524-3538.— In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Other Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) read with rule 251 of the Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002, and read with the Notification No. U-11020/1/2000-UTL dated the 14th July, 2000 and Notification S.O.3753 (E) dated 02.09.2024 issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, the Hon'ble Lt. Governor of Delhi is pleased to reconstitute the existing Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board consisting of the following persons with effect from the date of notification for a period of three years or till it is reconstituted, namely:-

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Hon'ble Minister of Labour, GNCTD | Chairperson |
| 2. Nominee of the Central Government | Member |

3. Five Members representing the Government.

(i)	Secretary, Labour, GNCTD.	Member
(ii)	Commissioner , Labour, GNCTD	Member
(iii)	Secretary, Finance, GNCTD	Member
(iv)	Secretary , Health, GNCTD	Member
(v)	Principal Secretary, Law, GNCTD	Member

4. Five Members representing the Employers.

(i)	Engineer in Chief- PWD	Member
(ii)	Engineer in Chief- MCD	Member
(iii)	Engineer in Chief-DDA	Member
(iv)	Additional General Manager (HR), DMRC	Member
(v)	Chief Engineer, I&FC, GNCTD	Member

05 Members representing the employees of the Building and Other Construction Workers will be notified in due course.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
ASHOK KUMAR, Secy. (Labour)